हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

13 मार्च,2025

<u>परिपत्र</u>

विषय: चिकित्सा उपस्थिति योजना (28.1.2025 तक) (चिकित्सा नीति)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित चिकित्सा उपस्थिति योजना संकलित की गई है और इसके साथ संलग्न है |

शालिनी शर्मा
उप. महाप्रबंधक (प्रशासन)

सभी कार्मिक

हडको इंट्रानेट

हडको चिकित्सा सेवा योजना

1.0.0 सामान्य

हडको के निदेशक मंडल ने दिनांक 14 मार्च, 1972 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में इस बात पर जोर दिया कि "किसी भी कार्मिक को चिकित्सा देखभाल की कमी में कष्ट नहीं होना चाहिए। हडको के कार्मिकों और उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में व्यापक चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से हडको चिकित्सा सेवा योजना शुरू की गई है। इस योजना को 13 जून, 2024 को पुनः अद्यतन किया गया।

2.0.0 क्षेत्र, विस्तार और आवेदन

यह योजना प्रशिक्षु अधिकारियों सहित हुडको के सभी नियमित कार्मिकों पर लागू होगी। इसमें उनकी पात्रता और सेवा की शर्तों के अनुसार सीएमडी, कार्यकारी निदेशक और सीवीओ भी शामिल होंगे। इस योजना का लाभ कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हैं जो पूरी तरह से उन पर आश्रित हैं।

2.1.0 परिवार का अर्थ है, कार्मिक से

2.1.1 पति/पत्नी

2.1.2 माता-पिता

2.1.3 बच्चे, जिनमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं

2.1.4 विधवा बेटियाँ (उनके बच्चे शामिल नहीं हैं)

2.1.5 बहनें, जिनमें विधवा बहनें भी शामिल हैं (उनके बच्चे शामिल नहीं हैं)

2.1.6 नाबालिग भाई

नोट: बेटा जिसकी उम्र 25 वर्ष की हो चुकी हो या आय अर्जित करना शुरु कर दिया हो, भाई जो वयस्क हो चुका हो (18 वर्ष से ऊपर) और बेटी/बहन जो शादी के बाद या आय अर्जित करना शुरू कर दिया हो, इनमें से जो भी पहले हो, उन्हें आश्रित नहीं माना जाएगा।

2.2.0 जब पति और पत्नी दोनों कार्यरत हों -

2.2.1 यह सुविधा हडको और पति/पत्नी के नियोक्ता दोनों द्वारा विधिवत स्वीकृत संयुक्त घोषणा के अनुसार लागू होगी

2.2.2 महिला कार्मिकों के पास अपने कार्यरत माता-पिता/सास-ससुर छोड़कर अपने माता-पिता या सास-ससुर को अपने ऊपर आश्रित के रूप में शामिल करने का विकल्प होगा। इस संबंध में प्रयोग किए गए विकल्प को पूरी सेवा के दौरान केवल एक बार बदला जा सकता है।

2.2.3 जहां पति और पत्नी दोनों हडको के कार्मिक हैं, उनमें से कोई भी स्वयं अपने लिए और अपने परिवार के पात्र सदस्यों के लिए दावा कर सकता है।

2.2.4 जहां पति और पत्नी दोनों हडको के कार्मिक हैं तो इसके लिए दावा कौन करेगा, इसके लिए एक संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है। संयुक्त घोषणा के अभाव में, मामलों को पति की स्थिति के अनुसार लागू किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार पदोन्नति, स्थानांतरण, त्यागपत्र आदि जैसी परिस्थितियों के अनुसार घोषणा को बार-बार बदला जा सकता है।

2.3.0 इस योजना के तहत सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवानिवृत्त हडको के कार्मिकों और उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध होगी:

2.3.1. यह योजना ऐसे हडको कार्मिकों पर लागू होगी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने और निगम में न्यूनतम पंद्रह वर्ष की निरंतर सेवा करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं। तथापि, न्यूनतम सेवा की शर्त उन कार्मिकों के मामले में लागू नहीं होगी जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा पीईएसबी के माध्यम से चयन करके की जाती है।

2.3.2. सीपीएसई के कार्मिक जो स्थायी अब्ज़ॉर्प्शन/नई नियुक्ति के आधार पर निगम में निरंतर सेवा के साथ शामिल हुए हैं, बशर्ते कि उनके द्वारा पिछले कार्यालय और इस निगम में की गई कुल सेवा के 15 वर्ष से कम न हो, इस निगम में दी गई सेवा की अवधि कितनी भी हो, इसके बावजूद हडको से सेवानिवृत्ति होने पर हडको चिकित्सा योजना के तहत उपलब्ध लाभों के हकदार होंगे।

2.3.3 किसी कार्मिकों के बच्चे (बेटी और बेटा दोनों) जो उक्त कार्मिक की सेवानिवृत्ति के समय 25 वर्ष की आयु के नहीं हैं, वे सेवानिवृत्ति के बाद 25 वर्ष की आयु होने तक उनके आश्रित बने रहेंगे।

2.3.4 यदि उपरोक्त खंड 2.3.1 और 2.3.2 के तहत सुविधा के लिए पात्र कार्मिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलता रहेगा।

2.3.5 यदि मृतक सेवारत कार्मिक का पति या पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया है तो मृतक की कल्पित सेवानिवृत्ति तिथि के बाद उसके पति या पत्नी को तिमाही अधार पर प्रतिपूर्ति दी जाएगी। पति या पत्नी के पुनर्विवाह करने पर, मृतक के आश्रित बच्चों और माता-पिता को चिकित्सा सुविधा इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि वे जीवित पुनर्विवाहित

पति या पत्नी के परिवार का हिस्सा नहीं हैं। आश्रितों को चिकित्सा लाभ नीति के अनुसार दिया जाएगा

2.3.6 **योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगा यदि** (i) सेवानिवृत्त कार्मिक पूर्णकालिक आधार पर कहीं और पुनः नियोजित हो; और (ii) वह अपने लिए या अपने पति/पत्नी, माता-पिता या बच्चों के रोजगार के परिणामस्वरूप आश्रित माता-पिता/पति/पत्नी/बच्चों के लिए कोई अन्य चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा/रही हो।

2.3.7 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पात्र सेवानिवृत्त कार्मिक को उपरोक्त खंड 2.3.6 की मदों (i) और (ii) के संबंध में एक प्रमाण पत्र देना होगा। यदि कोई कार्मिक अपने पति/पत्नी/बच्चों/माता-पिता के नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो उसके पास इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प है और उस स्थिति में कार्मिक द्वारा पति/पत्नी/बच्चों/माता-पिता के नियोक्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।

3.0.0 बाहरी और घरेलू उपचार

हडको कार्मिक अपने और आश्रित परिवार के सदस्यों के आउटडोर/घरेलू उपचार के लिए प्रति माह अपने मूल वेतन के मध्य चरण के 8.33% की दर से चिकित्सा भत्ता पाने के हकदार होंगे, जिसकी प्रतिपूर्ति तिमाही आधार पर की जाएगी। दावे की प्रक्रिया ईआरपी प्रणाली में सीधे होती है।

4.0.0 गंभीर बीमारियों (क्रानिक डिज़ीज़) के लिए बिना अस्पताल में भर्ती हुए उपचार की प्रतिपूर्ति

अधिसूचित गंभीर बीमारियों (क्रानिक डिज़ीज़) के उपचार पर किए गए खर्च, जिनके लिए अस्पताल में भर्ती हुए बिना लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है, तो उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और उन्हें इसके बाद निम्नलिखित सीमा तक अस्पताल में भर्ती होने के के व्यय के रूप में माना जाएगा। इससे संबंधित/सहायक दवाइयों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से निम्नलिखित बीमारियों को क्रॉनिक माना जाएगा: -

1. कैंसर

2. टीबी

3. हृदय रोग

4. अस्थमा

5. मिर्गी

6. पोलियोमाइलाइटिस

7. कुष्ठ रोग

8. गठिया/ऑस्टियोआर्थराइटिस

9: जन्मजात दोष

10. मानसिक रोग

11. मधुमेह

12. ग्लूकोमा

13. किडनी/गुर्दे की बीमारियाँ

14. मल्टीपल-स्क्लेरोसिस

15. मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और पार्किंसंस सहित न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर

इसके अलावा, एम्स, दिल्ली या राज्यों के अन्य एम्स में विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित पुरानी प्रकृति की कोई अन्य चिकित्सा स्थिति/दशा

उपरोक्त गंभीर बीमारियों (क्रानिक डिज़ीज़) के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए, यह शर्त होगी कि:

4.0.1 कोई कार्मिक/सेवानिवृत्त कार्मिक या उसके/उसकी आश्रित किसी सरकारी अस्पताल या हुडको के पैनल में शामिल किसी अस्पताल में उपरोक्त बीमारियों में से किसी के लिए ओपीडी उपचार करता है।

4.0.2 सरकारी अस्पताल/हडको के पैनल में शामिल अस्पताल के संबंधित डॉक्टर द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि उपरोक्त बीमारियों में से किसी एक के रोग का

उपचार दीर्घकालिक प्रकृति का है, लेकिन इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है।

4.0.3 दावे के साथ प्रस्तुत हडको के पैनल में शामिल/सरकारी अस्पताल के संबंधित डॉक्टर द्वारा जारी गंभीर बीमारी (क्रानिक डिज़ीज़) का प्रमाण पत्र की प्रति दो वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

4.0.4 ईआरपी प्रणाली में पुरानी बीमारियों की प्रतिपूर्ति का दावा करने की प्रक्रिया सीधी है। सरकारी अस्पतालों/हुडको के पैनल में शामिल अस्पतालों के पर्चे/रिपोर्ट के साथ-साथ बीमारी के निदान करने वाली सहायक जांच रिपोर्ट,गंभीर बीमारी (क्रानिक डिज़ीज़) का प्रमाण पत्र आदि को कॉर्पोरेट कार्यालय के इन-हाउस पैनल में शामिल डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है और बिलों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए किसी भी समय पर पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) में किए गए संशोधन अथवा या परिवर्तन को भी कॉर्पोरेट कार्यालय में इन-हाउस पैनल में शामिल डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रतिपूर्ति हेतु दावा *जीएसटी पंजीकृत कम्प्यूटरीकृत बिलों/रसीदों* तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ *ऑनलाइन* माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। केवल उन दवाइयों के दावे की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिन्हें *इन-हाउस* चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

4.0.5 हुडको के पैनल में शामिल अस्पताल/सरकारी अस्पताल के संबंधित डॉक्टर द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए दावे के साथ प्रस्तुत किए गए पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) की प्रति एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि डॉक्टर ने आजीवन अवधि(लाइफ टाइम) के लिए दवा लेने की सलाह दी है, तो भी एक वर्ष के बाद इसे फिर से अनुमोदित किया जाना चाहिए और इस पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) को दावे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

4.1.0 उपर्युक्त अधिसूचित दीर्घकालिक बीमारियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित पर किए गए व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के व्यय के रूप में माना जाएगा:

4.1.1 आंखों के इलाज/नेत्र रोग परामर्श, परीक्षण और एक्स-रे। सेवाएँ जिनमें शामिल हैं

4.1.2 विशेषज्ञ परामर्श (पैनल में शामिल अस्पताल द्वारा लिया जाने वाला शुल्क) जो पैनल में शामिल अस्पताल की रसीद द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, तो उसकी प्रतिपूर्ति होगी

4.1.3 पैनल में शामिल लैब/ डायग्नोस्टिक केंद्रों पर परामर्शदाता विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, कार्मिक/सेवानिवृत्त कार्मिक तथा उनके आश्रितों के लिए कराए गए पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल तथा अन्य तरीके से की गई जांचः

नोट: उन डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा की जांचों के लिए डायग्नोस्टिक शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति है, जो इंडोर/ओपीडी रोगी के लिए रेफरल आधार पर हडको पैनल में शामिल अस्पतालों के साथ टाई-अप व्यवस्था/समझौता है, यदि अस्पताल के पास अपनी स्वयं की ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ औपचारिक टाई-अप व्यवस्था/समझौता है।

4.1.4 फ्रैक्चर के मामलों में प्लास्टर (पीओपी) या इसके विकल्प की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाएगी जब उपचार हडको द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल में कराया गया हो।

4.2.0 दंत चिकित्सा उपचार की सुविधा में सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं और यह केवल हडको द्वारा अनुमोदित/सूचीबद्ध दंत चिकित्सा क्लीनिकों/अस्पतालों में ही उपलब्ध है। दंत चिकित्सा उपचार पर प्रतिपूर्ति/क्रेडिट सुविधा कार्मिक/सेवानिवृत्त कार्मिक और उसके आश्रितों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 40,000/- रुपये तक सीमित होगी। इस संबंध में सभी भुगतान केवल ऑनलाइन/डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाने चाहिए।

4.3.0 कुत्ते का कटना/प्रोफाईलाइटिक/इम्मुनोजेशन/प्रिवेंटिव उपचार।

कुत्ते के काटने के उपचार और शिशुओं की रोगनिरोधी महामारी सहित किसी भी संक्रामक रोग/महामारी आदि के निवारक उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। टीकाकरण शुल्क सहित ऐसे उपचार की प्रतिपूर्ति, पंजीकृत योग्य चिकित्सक के पर्चे के साथ बिल प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

4.4.0 श्रवण उपचार की प्रतिपूर्ति

ईएनटी सर्जन द्वार दी गई सलाह के अनुसार एक कान का श्रवण उकरण (Hearing Aid) के लिए रोगी की आश्यकतानुसार शरीर पर पहनने वाले/ जेब में रखने वाले/ कान के पीछे पहनने वाले/ कैनल टाइप(पारंपारिक) की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 15,000/- और कान के दोनों ओर पहनने वाले उपकरण के लिए 30,000/- रुपये तक है,

विशेष परिस्थितियों में, पहली बार दो ईएनटी विशेषज्ञों की सलाह पर तथा तत्पश्चात सूचीबद्ध अस्पताल से एक ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा प्रति व्यक्ति 90,000/- रुपये की सीमा तक दो सुनने वाले डिजिटल श्रवण उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। ईएनटी विशेषज्ञ की नई सिफारिश पर 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस उपकरण का लाभ लिया जा सकता है।

4.5.0 चश्मों की प्रतिपूर्ति

सेवारत कार्मिक तथा उनके आश्रित कान्टेक्ट लेंस सहित चश्मे की लागत की प्रतिपूर्ति 25,000/- रुपये (कुल) तक ले सकते हैं। प्रतिपूर्ति का दावा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो बार किया जा सकता है, जिसके लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ से प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन के साथ किया जाना चाहिए, जो एक महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

सेवानिवृत्त कार्मिक तथा उनके आश्रित और मृतक कार्मिकों के आश्रित एक वित्तीय वर्ष में चश्मा/ कान्टेक्ट लेंस खरीदने के लिए 10,000/- रुपये (कुल) तक की राशि की प्रतिपूर्ति का लाभ ले सकते हैं

5.0.0 अस्पताल में उपचार

5.0.1 कार्मिक/सेवानिवृत्त कार्मिक और उसके आश्रितों को इनडोर उपचार की आवश्यकता होने पर सरकारी अस्पताल या हडको द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के संबंध में कार्मिक द्वारा किए गए पंजीकरण शुल्क/भर्ती शुल्क सहित व्यय की प्रतिपूर्ति दी जाएगी, जो आयकर अधिनियम के तहत आयकर आयुक्त द्वारा छूट प्राप्त है। आयकर छूट के बिना अस्पतालों के लिए, कर कार्मिक/सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा वहन किया जाएगा।

5.0.2 ऐसे मामलों में जब कार्मिक/सेवानिवृत्त कार्मिक या उसके आश्रित परिवार के सदस्य को आपातकालीन स्थिति में गैर-सूचीबद्ध अस्पताल/नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ता है, जहां सूचीबद्ध अस्पताल हैं, ऐसे मामलों में व्यय या उपचार की प्रतिपूर्ति संबंधित अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा यह प्रमाणित करने पर चार दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं दी जा सकती है कि रोगी को आपातकालीन स्थिति में भर्ती कराया गया था (और इस अवधि के दौरान यदि अस्पताल में भर्ती रहना आवश्यक है तो रोगी को सूचीबद्ध अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए)। ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति वास्तविक या मॉडल अस्पताल (क्षेत्र के लिए दरें जो भी कम हो) के अनुसार की लागू की जा सकती है। यदि किसी विशेष उपचार/प्रक्रिया के लिए मॉडल अस्पताल दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रतिपूर्ति को एम्स दरों के अनुसार प्रतिबंधित किया जा सकता है।

एनसीआर में आपातकालीन उपचार के लिए दिल्ली के मॉडल अस्पताल लागू होंगे।

यदि आस-पास कोई सूचीबद्ध अस्पताल नहीं है तो कार्मिक/सेवानिवृत्त कार्मिक, उसके आश्रित परिवार के सदस्य या मृतक कार्मिक के आश्रित किसी भी गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। ऐसे मामलों में, संबंधित राज्य में सूचीबद्ध मॉडल अस्पताल की दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। (नोट: आस-पास का मतलब शहर/गांव है)

5.0.3 हडको के पैनल में शामिल अस्पतालों में इनडोर उपचार के लिए कमरे के किराए की पात्रता निम्नानुसार होगी: -

क) डीलक्स रूम - सीएमडी/निदेशक/सीवीओ

ख) सिंगल रूम - डीजीएम/जेजीएम/जीएम/ईडी/सीनियर ईडी

ग) डबल/शेयर्ड रूम - एजीएम और उससे नीचे

यदि हडको के पैनल में शामिल अस्पताल में किसी कार्मिक/सेवानिवृत्त कार्मिक की पात्रता के अनुसार कमरा उपलब्ध नहीं है, तो उसे पैनल में शामिल अस्पताल द्वारा पात्र श्रेणी के कमरे की अनुपलब्धता के उचित प्रमाणीकरण के अधीन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अगली उच्च श्रेणी का कमरा दिया जा सकता है।

5.0.4 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आहार शुल्क शामिल नहीं होगा।

5.0.5 एम्बुलेंस शुल्क: यदि रोगी को निवास से अस्पताल जाने या वापस आने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा आवश्यक है, तो आधिकारिक रसीदों के आधार पर वास्तविक व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

5.0.6 आकस्मिक व्यय: यदि अस्पताल में भर्ती होने की अवधि एक सप्ताह से अधिक है, तो आकस्मिक व्यय के रूप में कार्मिक को 500/- रुपये का एकमुश्त व्यय प्रतिपूर्ति किया जा सकता है।

5.0.7 पंजीकरण शुल्क: पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाएगी जब उपचार हडको के पैनल में शामिल अस्पताल में किया गया हो।

5.0.8 भर्ती शुल्क/प्रभार: भर्ती शुल्क/प्रभार की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाएगी जब उपचार हडको के पैनल में शामिल अस्पताल में किया गया हो।

5.0.9 ड्रेसिंग शुल्क: अस्पताल से छुट्टी के बाद चोट/फ्रैक्चर/शल्य चिकित्सा के बाद उपचार के लिए आवश्यक अन्य उपचार सहित ड्रेसिंग पर होने वाले व्यय, बशर्ते कि यह हडको के पैनल में शामिल अस्पताल से हो।

5.0.10 रोबोटिक सर्जरी/उन्नत उपचार की प्रतिपूर्ति: आईपीडी मामलों के लिए रोबोटिक सर्जरी/प्रक्रिया की अनुमति है।

5.0.11 खून की जांच के घर से संग्रह शुल्क की प्रतिपूर्ति: पैनलबद्ध अस्पतालों/प्रयोगशालाओं से पैथोलॉजी नमूनों के घर से संग्रह शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

6.0.0 विदेश में उपचार

सीएस (एमए) नियमों में निर्दिष्ट बीमारियों के लिए भारत के बाहर अपने या अपने आश्रित के लिए चिकित्सा उपचार का लाभ लेने के इच्छुक कार्मिक को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लाभ की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सुविधा चाहने वाला कार्मिक मेडिकल को एक अनुरोध भेजेगा, जिसकी जांच/समीक्षा हडको मेडिकल कंसल्टेंट, वित्त, प्रशासन और ई3 और उससे ऊपर के स्तर के विधि विंग के अधिकारियों वाली एक मेडिकल समिति द्वारा की जाएगी। मेडिकल समिति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले किसी विदेशी देश में आधिकारिक दौरे/यात्रा पर जाने वाले कार्मिक पर भी समय-समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7.0.0 वार्षिक स्वास्थ्य जांच

सेवानिवृत्त कार्मिक/सेवारत कार्मिक और उनके आश्रित हडको के पैनल में शामिल अस्पतालों में वार्षिक स्वास्थ्य जांच का लाभ ले सकते हैं। हडको के नियमित कार्मिक और उनके आश्रित हडको के पैनल में शामिल अस्पतालों में 35 वर्ष की आयु से वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए पात्र हैं।

ई-8 और उससे ऊपर के स्तर के नियमित कार्मिकों को एपीएआर के अनुसार जांच निर्धारित हैं, तथापि, वे अनुरोध पर निम्न स्तर के कार्मिकों के लिए लागू सभी मापदंडों को शामिल करते हुए स्वयं तथा आश्रितों के लिए प्रति व्यक्ति 5,000/- रुपये की सीमा के भीतर विस्तृत स्वास्थ्य जांच का विकल्प भी चुन सकते हैं

जिन क्षेत्रों में अस्पताल स्वास्थ्य जांच के लिए पैनल में शामिल नहीं हैं, वहां पात्र कार्मिक और उनके आश्रित हुडको के किसी भी पैनल में शामिल अस्पताल में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें प्रति व्यक्ति 5000/- रुपये तक के शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाए।

8.0.0 चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा अस्पताल में भर्ती होने की समीक्षा

कोई कार्मिक या उसके आश्रित को, जैसा कि उपरोक्त खंड 2 में परिभाषित किया गया है, किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो प्रशासन विंग के अलावा हडको के चिकित्सा परामर्शदाता को भी सूचित किया जाएगा, और चिकित्सा परामर्शदाता, यदि आवश्यक हो तो यथाशीघ्र अस्पताल का दौरा कर सकते हैं ताकि मौके पर ही स्थिति का आकलन किया जा सके।

रोगी की स्थिति और निदान के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता और निदान की उपयुक्तता के बारे में कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रोगी की स्थिति और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर, संबंधित चिकित्सा परामर्शदाता यह भी सिफारिश करेगा कि रोगी को अस्पताल में रहना जारी रखना चाहिए या किसी अधिक उपयुक्त अस्पताल/डॉक्टर/विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए।

9.0.0 आंतरिक उपचार के लिए अग्रिम राशि प्रदान करना

उन अधिकारियों द्वारा, जो वेतन अग्रिम स्वीकृत करने के लिए प्रधिकृत हैं, कार्मिकों को उनके तथा उपरोक्त खंड 2 में परिभाषित उनके आश्रितों के लिए *आंतरिक उपचार* पर होने वाले शुरुआती व्ययों को पूरा करने हेतु चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण की जाएं:

9.0.1 अग्रिम राशि के लिए आवेदन के साथ एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि रोगी का उपचार एक आंतरिक रोगी के रूप में किया जा रहा है और उपचार पर अनुमानित व्यय दर्शाया गया हो।

9.0.2 जिन मामलों में अधिक समय तक उपचार की आवश्यकता होती है, कार्मिकों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अन्यथा स्वीकार्य सीमा तक जारी रखी जा सकती है और यदि आवश्यक हो, तो पहले के अग्रिमों को समायोजित करने के बाद में आगे के चिकत्सा भी अग्रिम स्वीकृत किए जा सकते हैं।

9.0.3 वसूली पर नज़र रखने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी वित्त विंग की होगी।

10.00 कराधान

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, नियोक्ता द्वारा कार्मिक या उसके परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार के लिए सीधे अस्पताल को भुगतान की गई कोई भी राशि आयकर से मुक्त होती है, बशर्ते कि अस्पताल को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया हो। कार्मिक से अनुरोध है कि यदि किसी अन्य अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों से कोई चिकित्सा उपचार लिया जाता है, जिन्हें मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया है, यदि कोई हो तो छूट के अधीन के अंतर्गत ऐसे चिकित्सा उपचार का मूल्य आयकर लगाने के उद्देश्य से भत्ते के रूप में कार्मिकों के वेतन में शामिल किया जाएगा,

11.00 सेवारत कार्मिकों के लिए;

सभी नियमित कार्मिकों के मासिक मूल वेतन के 25% की सीमा तक चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को महंगाई भत्ते को छोड़कर मूल वेतन को 25% की सीमा की गणना के लिए माना जाएगा), निम्नलिखित के संबंध में बिल/चालान प्रस्तुत करने पर वार्षिक रूप से की जाएगी::

क) जी.एस.टी. के साथ बिल प्रस्तुत करने पर, दीर्घकालिक बीमारियों के अलावा, दवाओं (डॉक्टर/चिकित्सक द्वारा निर्धारित) के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी

ख) उच्च जोखिम वाले रोगों से बचाव हेतु, पैनल में शामिल अस्पतालो में, पहले से शामिल बच्चों के टीकाकरण को छोड़कर अन्य टीकों की प्रतिपूर्ति, जीएसटी वाले बिल प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

ग) चिकित्सा उपकरण जैसे सीपीएपी/बीआईपीएपी, टेस्ट स्ट्रिप्स के साथ ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, बीपी उपकरण, थर्मामीटर, वजन मापने की मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कैथेटर जैसे एकल उपयोग वाले उपकरण, एकल उपयोग वाली सिरिंज, नेबुलाइजर आदि की खरीद केवल जीएसटी अनुपालन वाले बिलों की प्रस्तुति पर की जाएगी।

घ) जीएसटी वाले बिल प्रस्तुत करने पर गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों से परामर्श लेने वाले कार्मिकों को दंत चिकित्सा और नेत्र, फिजियोथेरेपी, आहार विशेषज्ञ सहित ओपीडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ड.) जीएसटी वाले बिल प्रस्तुत करने पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा समग्र उपचार से संबंधित दवाओं (डॉक्टर/मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा निर्धारित) और उपकरणों के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

च) गैर-सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए शुल्क भी प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि परीक्षण डॉक्टर/मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा गया हो और जीएसटी के साथ बिल प्रस्तुत किया गया।

झ) जी.एस.टी. के साथ बिल प्रस्तुत करने पर, स्वयं एवं सेवारत कार्मिकों के आश्रितों के लिए एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त दंत चिकित्सा से संबंधित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.00 मेडिकल आई-कार्ड

सेवानिवृत्त/नियमित कार्मिक के मेडिकल कार्ड संबंधित कार्यालय द्वारा ऑनलाइन तैयार किए जाएंगे जहां से वह व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ है/ कार्य कर रहा है।